प्रेस–विज्ञप्ति

दिनांक – 03.12.2018

विषयः– चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी द्वारा लेखा का प्रस्तुत किया जाना।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अन्तर्गत चुनाव लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लेखे का संधारित किया जाना अनिवार्य है तथा मतदान दिवस से पूर्व किये गये निर्वाचन व्यय की जांच हेतु निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के निर्धारित समयावधि में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। समय में प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस दिया जाता है। नोटिस दिये जाने के बाद भी यदि कोई लेखा प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत 1860 की धारा 171 (झ) के अनुसार प्रकरण दर्ज कराई जाती है। विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव लड़ रहे कुल उम्मीदवार 2899 में से 2367 द्वारा समय पर लेखा प्रस्तुत किया गया है। 532 उम्मीदवार द्वारा समय पर लेखा नहीं जमा करने के कारण उनको नोटिस जारी किये गये हैं तथा उनमें से 27 लोगों के विरूद्ध आर.पी. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कराये गये हैं।